रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 8, 2001/कार्तिक 17, 1923

No. 571] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 2001/KARTIKA 17, 1923

CENTRAL G. ... GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2001

सा. का. नि. 839(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 738(अ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. के. जैन, अध्यक्ष।

(ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति विजेन्दर जैन, सदस्य।

(iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. के. महाजन, सदस्य।

2. यह अधिसूचना 10 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2001-सी.शु. VIII]

इंदिरा मूर्ति, अवर सचिव

याद टिप्पणी :—दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सा.का.नि. 738(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (i) में दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2001

G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. 738(E) dated 14th December, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain, Chairman.

(ii) Hon'ble Mr. Justice Vijender Jain, Member.

(iii) Hon'ble Mr. Justice S. K. Mahajan, Member.

2. This notification shall come into force with effect from 10th day of November, 2001.

[F. No. 674/1/2001-Cus. VIII]

INDIRA MURTHY, Under Secy.

Footnote :—The notification G.S.R. 738(E) dated 14th December, 1998 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 14th day of December, 1998.

3481 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.